माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष

बलबीर सिंह

-याचिकाकर्ता

बनाम

पीठासीन अधिकारी और अन्य

-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2011 का 21

5 फरवरी 2013

A. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 10, 15, 17 और 25 A - औद्योगिक विवाद (पंजाब) नियम, 1958 - नियम 10-B - आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 256 - श्रम न्यायाधिकरण/न्यायालय - अभ्यास और प्रक्रिया- श्रम विवाद का संदर्भ- कामगार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की गैर-उपस्थिति - एकपक्षीय कार्यवाही - उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया - एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का आवेदन भी खारिज - दोनों आदेशों को रिट याचिका में चुनौती - माना गया कि ऐसा आदेश कोई अवॉर्ड नहीं होगा - पार्टी के पास उसके समक्ष अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराते हुए आदेश को वापस लेने के लिए उसी न्यायालय में जाने का विकल्प है - न्यायालय/न्यायाधिकरण आधिकारिक नहीं बनता है और ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है - कार्यकर्ता उपयुक्त सरकार से समान तथ्यों पर दूसरा संदर्भ भी मांग सकता है - रिट की अनुमति - अवॉर्ड रद्द कर दिया गया और मामला माफ कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई संदर्भ अनुत्तरित लौटाया जाता है, तो पक्ष के पास सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराने वाले आदेश को फिर से बुलाने के लिए उसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने का विकल्प होता है। चूँकि ऐसा कोई आदेश किसी अवॉर्ड के समान नहीं होगा, उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा और श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण किसी आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह माना गया कि यदि वीरेंद्र भंडारी के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, तो एक कर्मचारी, जिसके मामले में संदर्भित विवाद का निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था, को अभी भी

दूसरे संदर्भ के लिए उपयुक्त सरकार के पास उसी तथ्य पर प्रस्ताव रखने का अधिकार है।मेरी राय में, उन परिस्थितियों में, जहां पहले संदर्भित प्रश्न अनुत्तरित लौटा दिया गया था, कर्मचारी को उन्हीं तथ्यों पर दूसरे संदर्भ के लिए उपयुक्त सरकार के पास प्रस्ताव रखने का अधिकार है, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार करना पड़ सकता है।

(पैरा 23)

B. **औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 - धारा 2(6) - अवॉर्ड - क्या है - गुण के आधार पर निर्णय - डिफ़ॉल्ट पक्ष की अनुपस्थिति में, एकपक्षीय रूप से पारित अवॉर्ड - न्यायालय/अधिकरण द्वारा अवॉर्ड आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत करने से पहले उचित आधार पर वापस लिया जा सकता है।**

माना गया कि "अवॉर्ड" शब्द को अधिनियम की धारा 2(B) में परिभाषित किया गया है।

यह पढ़ता है:

"'अवार्ड' का अर्थ है किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम या अंतिम निर्धारण और इसमें धारा 10- ए के तहत दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार शामिल है।"

(पैरा 10)

माना गया कि इसकी व्याख्या गुण-दोष के आधार पर संदर्भ के निर्णय के रूप में की गई है। नियमों के नियम 10-बी(9) में यह प्रावधान है कि यदि कोई पार्टी किसी भी स्तर पर अपील करने में विफल रहती है, तो श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण संदर्भ एकपक्षीय के साथ आगे बढ़ सकता है और डिफ़ॉल्ट पार्टी की अनुपस्थिति में उस पर निर्णय ले सकता है। हालाँकि, एकपक्षीय कार्यवाही का निर्देश देने वाले ऐसे आदेश को अवॉर्ड प्रस्तुत करने से पहले उचित आधार पर दोबारा बुलाया जा सकता है। नियमावली का नियम 22 भी इसी तर्ज पर है.

(पैरा11)

इसके अलावा, यह माना गया कि श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा योग्यता पर निर्णय केवल तभी पारित किया जा सकता है जब विवाद के पक्ष अपनी दलीलें दायर करते हैं और सबूत पेश करके और तर्कों को संबोधित करके श्रम

न्यायालय/न्यायाधिकरण की सहायता करते हैं। इसके अभाव में इसे योग्यता के आधार पर अवॉर्ड नहीं कहा जा सकता। वीरेंद्र भंडारी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही श्रमिक के उदाहरण पर पिछले संदर्भ का उत्तर उसकी अनुपस्थिति में दिया गया हो, यह औद्योगिक विवाद का कोई निर्णय नहीं है और उसी मुद्दे पर नया संदर्भ बनाया जा सकता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें यह भी देखा कि संबंधित पक्ष की अनुपस्थिति में, ट्रिब्यूनल को संदर्भित मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करने में अपनी असमर्थता दर्ज करनी चाहिए थी, न कि यह कि विवाद ही अस्तित्व में नहीं है।

(पैरा12)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील, आभा राठौड़।

सुनील पंवार, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील

राजेश बिंदल जे०

(1) याचिकाकर्ता-कर्मचारी ने एकपक्षीय अवार्ड दिनांक 15.1.2008 को रद्द करने और पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत (संक्षेप में, 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2010 को रद्द करने के लिए इस अदालत से संपर्क किया व ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भ की बहाली के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में, प्रस्तुत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-कर्मचारी को 1993 में पावरलूम संचालित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2-प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था। उसने 31.7.2006 तक काम किया जब उसकी सेवाएं कथित तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ता ने प्रबंधन को दिनांक 2.11.2008 का एक डिमांड नोटिस तामील करवाया। मामला श्रम-सह-सुलह अधिकारी के समक्ष तय नहीं होने पर उपयुक्त सरकार द्वारा विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजा गया था। चूंकि ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई और उसके खिलाफ संदर्भ का फैसला किया गया। जब याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत एकतरफा फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। दोनों आदेशों को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए मांग नोटिस में, उसने अपने स्थायी आवासीय पते के साथ-साथ अधिकृत प्रतिनिधि के पते का भी उल्लेख किया था, फिर भी, जब मामला उपयुक्त

सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल को भेजा गया था याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते पर कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, बल्कि इसे केवल अधिकृत प्रतिनिधि को भेजा गया था, जो केवल श्रम-सह-सुलह अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। भले ही अधिकृत प्रतिनिधि को विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजे जाने की जानकारी प्राप्त होगयी थी इसके बावजूद उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि जब मामला ट्रिब्यूनल द्वारा उठाया गया, तब भी याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसे दोबारा अधिकृत प्रतिनिधि के पास ही भेजा गया। किसी सूचना के अभाव में याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इस तथ्य के बावजूद उनकी अनसुनी निंदा की गई कि लगभग 13 वर्षों की अवधि तक प्रबंधन की सेवा करने के बाद अधिनियम की धारा 25-F के प्रावधानों के उल्लंघन में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

(4) विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक बार संदर्भित विवाद का निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया है, तो इसे अवॉर्ड नहीं कहा जा सकता है, जिसे प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। संदर्भित विवाद का गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने के बाद ही इसे अवॉर्ड कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, इसे आधिकारिक बनाकर प्रकाशन के लिए उपयुक्त सरकार के पास नहीं भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक श्रमिक के दुखों को बढ़ाता है। यदि श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो यह आधिकारिक नहीं बनता है। इन परिस्थितियों में, श्रमिक श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष बहाली के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है जिस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक राजपत्र में अवॉर्ड के प्रकाशन के बाद, श्रमिक केवल इसे रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।उनके इस तर्क के समर्थन में कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश कोई अवॉर्ड नहीं है, **टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स, भिवानी बनाम लेबर कोर्ट, रोहतक और अन्य (1)**[1] में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले पर और **चंद्रकांत देवगिरि गिरी बनाम पोरबंदर नगरपालिका, पोरबंदर (2)** में गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया था।। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि भले ही पहला संदर्भ कर्मचारी के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में तय किया गया हो, उसी तथ्य पर दूसरा संदर्भ बनाए रखने योग्य है। समर्थन में, **वीरेंद्र भंडारी बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य (3)** पर भरोसा किया गया था।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिस कर्मचारी ने मांग नोटिस उठाया था, उसे श्रम-सह-सुलह अधिकारी या उपयुक्त सरकार के समक्ष कार्यवाही के बारे में पता होना आवश्यक है। उसे अपने मामले की जानकारी रखना आवश्यक है।एक बार मांग नोटिस में अधिकृत प्रतिनिधि का पता दे दिया गया, तो उस पर नोटिस की तामील पर्याप्त है। उपयुक्त सरकार ने विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजने का आदेश याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को भेजा था और इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने भी उसी पते पर नोटिस भेजा था। ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता की

---

(1)(1994) III LL(Suppl.) 1065
(2) 2009 Lab. LC 2532
(3) (2002) 9 SCC 200

ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व के अभाव में, उसके पास तदनुसार अवॉर्ड पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याचिकाकर्ता ने विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजा था। अपना मामला साबित करने की जिम्मेदारी उस पर थी। उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी सामग्री के अभाव में, ट्रिब्यूनल के पास उनके खिलाफ अवॉर्ड पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए किसी भी अंतिम निर्णय को सरकार को भेजा जाना आवश्यक है और सरकार उसे प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। उन्होंने आगे कहा कि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है, जो एक कर्मचारी को विलंबित चरण में यह दलील देकर पुराना दावा खोदने में सक्षम कर सके कि उसे कार्यवाही के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह पेश नहीं हो सका। अब अधिनियम में किए गए संशोधन से विवाद उठाने में भी देरी घातक है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी गैर-उपस्थिति के लिए दिखाया गया कारण उचित नहीं पाया गया।

(6) उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना गया और कागजात का अवलोकन किया गया।

(7) वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात्, उन मामलों में श्रम न्यायालयों या औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां याचिकाकर्ता-कर्मचारी, जिसके उदाहरण पर श्रम न्यायलय/ ट्रिब्यूनल को एक संदर्भ दिया गया है, किसी कारण से उपस्थित नहीं होते? यह विशेष रूप से उन मामलों में है जहां कोई याचिका दायर नहीं की गई है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता- कर्मचारी के खिलाफ अवॉर्ड पारित करके संदर्भों को खारिज कर रहे हैं, जिन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए उपयुक्त सरकार को भेजा जाता है।अवॉर्ड प्रकाशित होने के बाद, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण कार्यशील हो जाता है और यदि याचिकाकर्ता-कर्मचारी के श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने के अच्छे कारण हैं, तो उसके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय इस न्यायालय से संपर्क करना है, जो न केवल महंगा बल्कि समय लेने वाला भी है।

(8) अधिनियम की धारा 10 विवाद को न्यायालय/न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का प्रावधान करती है। इसकी उपधारा (2-A) में प्रावधान है कि विवाद के संदर्भ के समय उपयुक्त सरकार अवधि निर्दिष्ट करेगी जिसके अंतर्गत न्यायालय/न्यायाधिकरण ऐसे विवाद का अपना निर्णय प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 15 श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण के कर्तव्यों पर प्रकाश डालती है। इसमें मामलों के शीघ्र निपटान और उचित सरकार को अवॉर्ड प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसे अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

(9) औद्योगिक विवाद (पंजाब) नियम, 1958 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 10-बी में श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। इसमें परिकल्पना की गई है कि श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए विवाद का संदर्भ देते समय, उपयुक्त सरकार पक्ष को संदर्भ आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावे का विवरण दाखिल करने और एक प्रति विवाद में शामिल विपरीत पक्ष को अग्रेषित

करने का निर्देश देगी।विरोधी पक्ष को दावे पर लिखित बयान दाखिल करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद प्रतिकृति दायर की जा सकती है और दोनों पक्षों द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, अदालत/न्यायाधिकरण को दलीलें सुनने के बाद फैसला पारित करना होता है।

(10) "अवॉर्ड" शब्द को अधिनियम की धारा 2(बी) में परिभाषित किया गया है। यह पढ़ता है:

" 'अवार्ड' का अर्थ किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम या अंतिम निर्धारण है और इसमें धारा *10*- ए के तहत दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार शामिल है।"

(11) इसकी व्याख्या गुण-दोष के आधार पर संदर्भ के निर्णय के रूप में की गई है। नियमों के नियम 10-बी(9) में यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्ष किसी भी स्तर पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है और डिफ़ॉल्ट पक्ष की अनुपस्थिति में उस पर निर्णय ले सकता है। हालाँकि, एकपक्षीय कार्यवाही का निर्देश देने वाले ऐसे आदेश को अवॉर्ड प्रदान करने से पहले उचित आधार पर दोबारा बुलाया जा सकता है। नियमावली का नियम 22 भी इसी तर्ज पर है।

(12) श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा योग्यता के आधार पर अवॉर्ड केवल तभी पारित किया जा सकता है जब विवाद के पक्ष अपनी दलीलें दायर करते हैं और प्रमुख साक्ष्य और तर्कों को संबोधित करके श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण की सहायता करते हैं। इसके अभाव में इसे योग्यता के आधार पर अवॉर्ड नहीं कहा जा सकता। वीरेंद्र भंडारी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही राय दी थी कि यदि कामगार के पिछले संदर्भ का उत्तर उसकी अनुपस्थिति में दिया गया था, तो यह औद्योगिक विवाद का कोई निर्णय नहीं है और उसी मुद्दे पर नया संदर्भ बनाए रखने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संबंधित पक्ष की अनुपस्थिति में, ट्रिब्यूनल को संदर्भित मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज करने में अपनी असमर्थता दर्ज करनी चाहिए थी, न कि यह कि विवाद ही अस्तित्व में नहीं है। उसका प्रासंगिक अनुच्छेद 4 नीचे दिया गया है:

"4. <u>पहले के अवसर पर दिए गए फैसले के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि विवाद का कोई निर्णय नहीं हुआ है। केवल इतना कहा गया था कि संबंधित पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए थे और ऐसी स्थिति में, ट्रिब्यूनल संदर्भित मुद्दे पर निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने में इसकी असमर्थता को ध्यान में रखना चाहिए था, न कि यह कि विवाद ही अस्तित्व में नहीं है। जब गुण-दोष के मामले का कोई निर्णय नहीं होता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं है</u>। यदि औद्योगिक विवाद अभी भी मौजूद है जैसा कि सरकार की राय है, ऐसे मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकृति की कार्यवाही में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय में भेजा जाता है औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए न कि केवल दो निजी पक्षों के बीच विवाद के फैसले के लिए।ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल

द्वारा पहले अवसर पर और उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत आदेश में उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, सरकार के लिए यह निश्चित रूप से स्वीकार्य था कि वह दूसरा संदर्भ दे, जिस अवसर पर मामले की जांच करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने मामले पर अंतिम फैसला सुनाया।" [जोर दिया गया)

(13) ऐसे कई मामले हैं जिनमें जब संदर्भ किया गया है तब कामगार या तो श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित ना हों या उसका कोई प्रतिनिधित्व न करें।इसके कई कारण हैं और यदि अवसर मिले तो कामगार उसकी गैर-उपस्थिति के अच्छे कारण से श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को संतुष्ट करने में सक्षम हो सकता है। इसका एक कारण जो इस न्यायालय द्वारा देखा गया कि उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भ के आदेश और/या श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा जारी नोटिस की गैर-सेवा की गई थी।यह इस तथ्य के कारण था कि कामगारों के स्थायी पते की कोई सूची नहीं थी और केवल उनके प्रतिनिधियों पर नोटिस दिए जाते थे जिनकी बाद में रुचि हो भी सकती है और नहीं भी या हो सकता है कि उन्होंने अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया हो। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा 2011 के CWP No. 11257 में एल. गोयल एंड संस लिमिटेड बनाम वेतन भुगतान और अन्य के तहत नियुक्त प्राधिकरण, 3.11.2012 को निर्णय लिया गया था, जिसमें निम्नानुसार निर्देशित किया गया था:

"23. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत विभिन्न अधिकारियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में दायर किए जाने वाले सभी मामलों और सभी लंबित मामलों में, पक्षों को अपना स्थायी पता प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।यदि कर्मकार का प्रतिनिधि लगातार उपस्थित हो रहा है तो भी उसे कर्मकार का स्थायी पता प्रस्तुत करना होगा। प्रथम चरण के बाद की कार्यवाही में भी, उसकी सेवा के लिए पार्टी का स्थायी पता प्रदान करना अनिवार्य होगा। केवल श्रमिक संघ के माध्यम से उल्लेख करना या अधिकृत प्रतिनिधि, जो कभी-कभी यूनियन नेता या कानूनी व्यवसायी होते हैं, पर्याप्त नहीं होंगे। नोटिस की सेवा कर्मचारी के स्थायी पते पर प्रभावी होनी होगी।

(14) दलीलों और सबूतों के अभाव में, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण योग्यता के आधार पर अवॉर्ड पारित नहीं कर पाएगा। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में परिकल्पना की गई है कि संदर्भ को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण कामगार की अनुपस्थिति में गुण- दोष के आधार पर मामले का निर्णय करता है और यह मानते हुए मामले का उत्तर देता है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं है और अवॉर्ड उचित सरकार को भेजा जाता है, जो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होता है, तो एकमात्र एक कर्मचारी के लिए उपाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हो सकता है, जो महंगा और समय लेने वाला है।

(15) अधिनियम की योजना यह है कि उपयुक्त सरकार यह पता लगाने के बाद कि श्रमिक और प्रबंधन के बीच औद्योगिक विवाद मौजूद है, उसे अपनी राय के लिए श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को संदर्भित करता है, श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण इस मुद्दे पर प्रभावी ढंग से विचार कर सकता है यदि पक्षकार दलीलें दायर करते हैं, साक्ष्य

प्रस्तुत करते हैं और श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण की सहायता करते हैं। इसके अभाव में, श्रम न्यायालय/ न्यायाधिकरण विवाद के गुण- दोष पर अपनी राय नहीं दे पाएगा।

(16) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 256 के तहत, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में ,'आईटीएटी') द्वारा एक आदेश पारित होने के बाद, किसी भी पीड़ित पक्ष को आईटीएटी के समक्ष किसी कानूनी प्रश्न को उच्च न्यायालय की राय हेतु संदर्भित करने के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार था।ऐसे मामले में जहां आवेदन खारिज कर दिया गया है , पीड़ित पक्ष को आईटीएटी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्न को संदर्भित करने के लिए आईटीएटी को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार था। इस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विवादों को उच्च न्यायालय में भेजा जाता था। कभी-कभी, जब मामले को सुनवाई के लिए लिया जाता था, तो उस पक्ष के वकील मदद के लिए उपलब्ध नहीं थे जिसने संदर्भ मांगा था, ऐसी स्तिथि में अदालतें सवालों को अनुत्तरित लौटा रही थीं। **आयकर आयुक्त बनाम अमृतसर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (4)** में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"7. .... हमें यह भी लगता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आदेश में संदर्भित प्रासंगिक सामग्री को मामले के बयान का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संदर्भित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, इस समय यही विकल्प उपलब्ध हैं - या तो मामले के पूरक विवरण के लिए कॉल करना या अनुत्तरित संदर्भ को वापस करना। हमारी राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब तक एक नया मूल्यांकन तैयार किया गया होगा, जिसकी जानकारी इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद राजस्व के विद्वान वकील ,विभाग से प्राप्त करने में असमर्थ था, हमें बाद वाले विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए।" [जोर दिया गया]

(17) इसी तरह का आदेश **न्यू दीवान ऑयल मिल्स बनाम सीआईटी (5)**[2]में पारित किया गया था।

(18) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **स्वर्गीय तुकोजीराव होलकर की संपत्ति बनाम संपत्ति कर आयुक्त (6)** के मामले में निम्नानुसार फैसला सुनाया:

"उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि यदि वह पक्ष जिसके कहने पर संदर्भ दिया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहता है, या संदर्भ की सुनवाई को सक्षम करने के लिए कागजी किताबें तैयार करने के लिए कदम उठाने में विफल रहता है, यह अदालत संदर्भ का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। हम संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करते हैं और निर्धारिती पर 150 रुपये निर्धारित विभाग की लागत का बोझ भी डालते हैं।"

---

(4) (2006) 284 ITR 312
(5) (2008) 296 ITR 495
(6) (1997) 223 ITR 480
(7) (2005) 272 ITR 562

(19) **आयकर आयुक्त बनाम श्री राम फाइबर्स लिमिटेड (7)** में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"2. राजस्व के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री आर. डी. जॉली का कहना है कि चूंकि सभी प्रासंगिक दस्तावेज आईटीसी संख्या 10/95 की फाइल में उपलब्ध हैं, इसलिए राजस्व को दस्तावेजों और कागजी किताबों को इस मामले में दाखिल करने से छूट दी जा सकती है।हमें डर है, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार जब कोई पक्ष इस अदालत में एक संदर्भ भेजने का विकल्प चुनता है, तो यह उन सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है जो नियमित रूप से संदर्भ में लागू होते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राजस्व न केवल आवश्यक कागजी किताबें दाखिल करने में विफल रहा है, बल्कि यह उत्तरदाताओं को नोटिस देने के लिए कदम उठाने में भी विफल रहा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अनुत्तरित संदर्भ लौटाते हैं।"

(20) मद्रास उच्च न्यायालय **के.एम.एन. नागप्पा चेट्टियार बनाम धन कर आयुक्त (8)**[3] में इस प्रकार निर्धारित किया गया:

"3. यह मामला 1992 से लंबित है। यह देखते हुए कि निर्धारिती अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं था और निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी, हमने रजिस्ट्री को निर्धारिती को पावती के साथ पंजीकृत डाक से भेजने का निर्देश दिया था। तदनुसार, नोटिस भेजा गया था और पावती कार्ड से यह स्पष्ट है कि आवेदक को 11.7.2002 को सेवा प्रदान की गई थी। फिर भी, जब मामला आज हमारे सामने आया, तो यह पाया गया कि निर्धारिती ने वकालतनामा या टाइपसेट इत्यादि दाखिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और निर्धारिती की ओर से भी कोई उपस्थिति नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि निर्धारिती को संदर्भ जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए संदर्भ बिना किसी उत्तर के वापस भेज दिया जाता है।"

(21) इसी तरह का आदेश माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने **नेनमल चंपालाल शाह और अन्य बनाम आयकर आयुक्त (9)** में पारित किया था।

(22) यदि कोई संदर्भ अनुत्तरित लौटाया जाता है, तो पक्ष के पास सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराने वाले आदेश को फिर से बुलाने के लिए उसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने का विकल्प होता है। ऐसा आदेश किसी अवॉर्ड के बराबर नहीं होगा, इसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा और श्रम न्यायालय/ट्रिब्यूना किसी आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकारी कार्य नहीं करेगा।

---

(8) (2003) 130 Taxman 61
(9) (1999) 238 ITR 266

(23) यदि वीरेंद्र भंडारी के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, तो एक कर्मचारी, जिसके मामले में संदर्भित विवाद का निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था, को अभी भी उसी तथ्य पर दूसरे संदर्भ के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करने का अधिकार है। मेरी राय में, उन परिस्थितियों में, जहां पहले संदर्भित प्रश्न अनुत्तरित लौटा दिया गया था, कर्मचारी को उन्हीं तथ्यों पर दूसरे संदर्भ के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करने का भी अधिकार होगा, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(24) यदि मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए, तो याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामला यह है कि उसे नोटिस नहीं दिया गया था क्योंकि केवल उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस भेजा गया था। यह इस तथ्य के बावजूद है कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष दलीलों में अपना स्थायी पता प्रस्तुत किया था। अधिकृत प्रतिनिधि को केवल श्रम-सह-सुलह अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, न कि न्यायालय के समक्ष। चूँकि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल से कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए वह उपस्थित होने में असमर्थ था। किसी भी दलील या सबूत के अभाव में, मामले का फैसला उसके खिलाफ किया गया था, इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित ऐसा आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

(25) तदनुसार, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवॉर्ड दिनांक 15.1.2008 और आदेश दिनांक 7.9.2010 को रद्द किया जाता है। मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया गया है।

(26) पार्टियों को अपने वकील के माध्यम से 4.3.2013 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(27) याचिका का निपटारा किया जाता है।

(28) आदेश की प्रति पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सभी श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को प्रसारित की जाएगी।

एस० गुप्ता०

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा।